कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं0 09/उपा0कीट0विविध–10/2016 /कृ0 पटना, दिनांक 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा0 प्र0 से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)
संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार
सभी जिला कृषि पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी,

विषय : कीटनाशी विनिर्माण/विपणन अनुज्ञप्ति के नवीकरण एवं इन्डोर्समेन्ट हेतु चेकलिस्ट में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार पटना द्वारा अंकेक्षण के क्रम में उठाए गए आपत्ति एवं दिये गए सुझाव के आलोक में कीटनाशी अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं इन्डोर्समेन्ट हेतु चेकलिस्ट में संशोधन किया गया है।

निदेश है कि संलग्न संशोधित चेकलिस्ट के आलोक में कागजात प्राप्त करने के पश्चात कीटनाशी अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं इन्डोर्समेन्ट की कार्रवाई की जाए। अनुज्ञप्ति नवीकरण की सूची अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाए।

अनुलग्नक :–तीन पृष्ठ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– उप निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना एवं सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 43 /कृ0, पटना, दिनांक –09-01– 2017

प्रतिलिपि– सभी कीटनाशी विनिर्माण एवं विपणनकर्त्ता प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2– आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.1.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\Year 2016-17\Input latter\Letter pad-09.docx

अनुसूची–1 (क)

कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र0 सं0	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ0 सं0	टिप्पणी
1	प्रपत्र V में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 2000/– अधिकतम 20000/–रू0 का कोषागार चालान की मूलप्रति। **(शीर्ष– कृषि कार्य 010 पौ0सं0यो0 से प्राप्तियॉ, पौ0सं0यो0 कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आय उपशीर्ष–0001–पौ0सं0 विपत्र कोड–R-0401001070001)**		
3	विलंब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क सहित प्रथम माह तक रू0 500/– दुसरे माह तक रू0 1000/– तीसरे माह तक रू0 1500/–(यदि लागू हो तो)।		
4	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम सहित सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र ।		
5	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	सी0आई0बी0 अनुबंध की अभिप्रमाणित छायाप्रति।		
7	बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।		
8	वाणिज्य कर शोधन अनापत्ति प्रमाण–पत्र/कर देयता प्रमाण पत्र।		
9	उद्योग विभाग से निबंधन/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निबंधन पत्र।		
10	माप–तौल अनुज्ञप्ति की प्रति।		
11	कीटनाशी के बी0आई0एस0 मानक परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों, रसायन एवं कॉच उपकरण की सूची एवं इनके परीक्षण हेतु प्रयोगशाला संबंधी अभिलेख ।		
12	कीटनाशी परीक्षण हेतु रसायनज्ञ की योग्यता (रसायन विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान में स्नातक) संबंधी स्वअभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र।		
13	विनिर्माण स्थल की लैण्ड ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण–पत्र।		
14	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा–33 के तहत् शपथ पत्र ।		
15	कीटनाशी विनिर्माण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण–पत्र के साथ ।		
16	प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का भी प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र।		
17	प्रपत्र X मे सभी तरह के अभिलेख संधारण का प्रमाण पत्र।		
18	Expired कीटनाशी दवाईयों का निष्पादन एवं व्यवस्था संबंधी प्रतिवेदन।		
19	कीटनाशी बिक्री/भंडारण का माहवार प्रतिवेदन।		
20	अमानक कीटनाशी का विवरणी एवं अभियोजन की स्थिति।		
21	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन।		

सहायक　　प्रशाखा पदा0　　स0कृ0निदे0(सां0)　　सं0कृ0निदे0　　कृषि निदेशक

अनुसूची–1 (ख)

कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र0 सं0	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ0 सं0	टिप्पणी
1	प्रपत्र VII में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 500/– अधिकतम 7500/–रू0 का कोषागार चालान की मूलप्रति। (विक्रय स्थल एवं भंडार स्थल का अलग–अलग) **(शीर्ष– कृषि कार्य 010 पौ0सं0यो0 से प्राप्तियाँ, पौ0सं0यो0 कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आय उपशीर्ष–0001–पौ0सं0 विपत्र कोड–R-0401001070001)**		
3	विलंब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क सहित प्रथम माह तक रू0 100/–दूसरे माह तक रू0 200/–तीसरे माह तक रू0 300/– (यदि लागू हो तो)।		
4	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं सहित सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र।		
5	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो पहचान पत्र भी स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	सी0आई0बी0 अनुबंध की अभिप्रमाणित छायाप्रति।		
7	कंपनी का कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र।		
8	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा वाणिज्यिक अनुबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले कम्पनी के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति पत्र।		
9	वाणिज्य कर पंजीकरण प्रमाण–पत्र/कर देयता प्रमाण पत्र।		
10	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निबंधन पत्र।		
11	प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र ।		
12	फार्म–IX में कंपनी द्वारा सभी सूचनाओं सहित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
13	विनिर्माण प्रतिष्ठान का बिहार में वाणिज्यिक अनुबंध वाले प्रतिष्ठान के बीच नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र की प्रति। (मार्केटिंग एग्रीमेन्ट)		
14	कार्यालय/भंडार स्थल की ओनरशिप/लीज संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित किरायानामा।		
15	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा–33 के तहत् शपथ पत्र ।		
16	कीटनाशी भंडारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण–पत्र के साथ।		
17	प्रपत्र X में सभी तरह के अभिलेख संधारण का प्रमाण पत्र		
18	शैक्षणिक योग्यता (कृषि विज्ञान/जैव रसायन/जैव प्रद्योगिकी/जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री) संबंधी स्वअभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र		
19	Expired कीटनाशी दवाईयों का निष्पादन एवं व्यवस्था संबंधी प्रतिवेदन।		
20	कीटनाशी बिक्री/भंडारण का माहवार प्रतिवेदन।		
21	अमानक कीटनाशी का विवरणी एवं अभियोजन की स्थिति।		
22	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन।		

सहायक   प्रशाखा पदा0   स0कृ0निदे0(सां0)   सं0कृ0निदे0   कृषि निदेशक

अनुसूची–1 (ग)

अनुज्ञप्ति में कीटनाशी इंडोर्समेन्ट हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र0 सं0	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ0 सं0	टिप्पणी
1	इंडोर्समेन्ट के लिए आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 30/– अधिकतम 300/–रू0 का कोषागार चालान की मूलप्रति। (कार्यालय एंव भंडार स्थल का अलग–अलग) विपणन हेतु **(शीर्ष– कृषि कार्य 010 पौ0सं0यो0 से प्राप्तियाॅ, पौ0सं0यो0 कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आय उपशीर्ष–0001–पौ0सं0 विपत्र कोड–R-0401001070001)**		
3	प्रति कीटनाशी 50/– अधिकतम 500/–रू0 का कोषागार चालान की मूलप्रति। (विनिर्माण हेतु) **(शीर्ष– कृषि कार्य 010 पौ0सं0यो0 से प्राप्तियाॅ, पौ0सं0यो0 कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आय उपशीर्ष–0001–पौ0सं0 विपत्र कोड–R-0401001070001)**		
4	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम सहित सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
5	कृषि निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत विनिर्माण/विपणन अनुज्ञप्ति की प्रति।		
6	इंडोर्समेन्ट के कीटनाशी का सी0आई0बी0 निबंधन पत्र की प्रति।		
7	प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र		
8	इंडोर्समेन्ट वाले कीटनाशी के संबंध में फार्म–IX में कंपनी द्वारा सभी सूचनाओं सहित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
9	कीटनाशी विनिर्माण के लिए बी0आई0एस0 स्टैण्डर्ड के जाॅच हेतु प्रयोगशाला में व्यवस्था के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण–पत्र के साथ		
10	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा वाणिज्यिक अनुबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले कम्पनी के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति पत्र।		
11	विनिर्माण प्रतिष्ठान का बिहार में वाणिज्यिक अनुबंध वाले प्रतिष्ठान के बीच नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र की प्रति। (मार्केटिंग एग्रीमेन्ट)		
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा–33 के तहत् शपथ पत्र।		
13	अमानक कीटनाशी का विवरणी एवं अभियोजन की स्थिति।		
14	कम्पनी का विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।		

सहायक   प्रशाखा पदा0   स0कृ0निदे0(सां0)   सं0कृ0निदे0   कृषि निदेशक